न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो अधिनियम, तृतीय, अयोध्या।
[सत्र परीक्षण संख्याः 183/2013]
[राज्य बनाम शिव बहादुर]

....

05.07.2024: पत्रावली पेश हुई। विद्वान अतिरिक्त जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 311 दं०प्र०सं०, मु०अ०सं० 70/2013, अंतर्गत धारा 304, 323 भा०दं०सं०, थाना इनायत नगर, जिला अयोध्या के अभियोग में प्रस्तुत किया गया है।

निस्तारण प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 311 दं०प्र०सं०

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 311 दं०प्र०सं० दिनाँकित 05.07.2024 कागज संख्या 57ब विद्वान अतिरिक्त जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त वाद में डा० अवधेश प्रसाद द्वारा वादी मुकदमा का मेडिकल परीक्षण किया गया है तथा मृतक का पोस्टमार्टम डा० एस०पी० राय द्वारा किया गया है परन्तु सहवन आरोप–पत्र में गवाह के रुप में विवेचक द्वारा उपरोक्त साक्षियों का नाम अंकित नही किया गया है। अतः डा० अवधेश प्रसाद व डा० एस०पी० राय को बतौर अभियोजन साक्षी तलब किये जाने की प्रार्थना की गयी।

प्रार्थना पत्र पर सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

इस प्रकरण में यह तथ्य उल्लेखनीय है कि धारा 311 दं०प्र०सं० का प्रावधान इस प्रकरण में लागू होता है। धारा 311 दं०प्र०सं० यह उपबन्धित करती है कि "कोई न्यायालय इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही के किसी प्रक्रम में किसी व्यक्ति को साक्षी के तौर पर समन कर सकता है या किसी ऐसे व्यक्ति की, जो हाजिर हो, यद्यपि वह साक्षी के रुप में समन न किया गया हो, परीक्षा कर सकता है, किसी व्यक्ति को, जिसकी पहले परीक्षा की जा चुकी है पुनः बुला सकता है और उसकी पुनः परीक्षा कर सकता है, और यदि न्यायालय को मामले के न्यायसंगत विनिश्चय के लिए किसी ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य आवश्यक प्रतीत होता है, तो वह ऐसे व्यक्ति को समन करेगा और उसकी परीक्षा करेगा या उसे पुनः बुलाएगा और उसकी पुनः परीक्षा करेगा।''

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में वादी मुकदमा का चिकित्सीय परीक्षण व मृतक का पोस्टमार्टम किये जाने से संबंधित चिकित्सक का साक्ष्य अंकित कराया जाना प्रकरण के न्यायपूर्ण विनिश्चय हेतु आवश्यक प्रतीत होता है। अतः धारा 311 दं०प्र०सं० के आलोक में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

विद्वान अतिरिक्त जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 311 दं०प्र०सं० दिनाँकित 05.07.2024 कागज संख्या 57ब स्वीकार किया जाता है। डा० अवधेश प्रसाद व डा० एस०पी० राय का साक्ष्य अंकित किये जाने हेतु उन्हें बतौर अभियोजन साक्षी जरिए समन तलब किया जाये। पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनाँक 20.07.2024 को पेश हो।

(अमर सिंह)
दिनाँक: 05.07.2024
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो अधिनियम, तृतीय,
अयोध्या।
जे०ओ० कोड–यू०पी० 1582

Digitally signed by Amar Singh
Date: 2024.07.05 15:42:08 IST
Reason: order passed
Location: District and Sessions Court